(नियम 26) 2022/298

जज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकाम झुन्झुनू

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव बनाम श्री योगेश कुमार पुत्र पुरूषोतम लाल प्रजापत

किस्म मुकदमा FSSAI नं. 36 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/9/22	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 एवं नियम 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 21/09/2022 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर झुन्झुनू	
21/9/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 22/9/22 को पेश हो।	
22.09.2022	पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक की ओर से अनावेदक के पिता श्री पुरूषोतम लाल उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अनावेदक/अभियुक्त संख्या का कथन है कि वह राणी सती मन्दिर सुभाष चौक मण्डावा के पास मै0 श्री ओम मसाला उधोग चलाता है जहां वह मसाले तैयार कर बेचान करता है। अनावेदक की फर्म से लिया गया सेम्पल मिस ब्रान्डेड पाया गया है। अनावेदक ने वह फर्म अब बन्द कर दी है। उसने मसालों में कोई मिलावट नही की है। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./1613/एक्ट/2022/1598 दिनांक 26.04.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर मिसब्रान्डेड (Misbranded Food) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी फर्म मै0 श्री ओम मसाला उधोग में मिर्च पाउडर स्वयं तैयार करता है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर मिसब्रान्डेड (Misbranded Food) Under section 3(1)(zf)(C)(i) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं [illegible] श्री योगेश कुमार पुत्र श्री पुरूषोतम लाल प्रजापत, मै0 श्री ओम म[illegible] रानी सती मन्दिर के पास, सुभाष चौक मण्डावा झुन्झुनू [illegible] शेखावाटी, जिला सीकर को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को [illegible] प्रकरण में अनावेदक को 2000/– दो हजार रूपये अ[illegible] किया जाता है। उक्त राशि सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में [illegible] चालान बैंक में जमा करा[illegible] चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश क़ी एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अति. जिला कलक्टर झुन्झुनू	पुरूषोतमलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.06 11:27:49 IST
Reason: SelfAttested